प्रेषक : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्रीराम पब्लिक स्कूल
सोडपुर

पत्रांक / शि०स० / 14189 / 2006–07 दिनांक 23-02-07

विषय : प्राईमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजाज्ञा संख्या / 984 / 15–06–90–10 (एस)(7) 89 दिनांक 28 अप्रैल, 90 एवं सचिव उ0प्र0 बे0शि0प0, इलाहाबाद के पत्र 0 / बे0शि0प0 / सा0–5 / 78–413 / 989–2000 दिनांक 16.04.99 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके आवेदन पर जिला मान्यता समिति, मु0नगर की बैठक दिनांक 20-2-7 में लिये गये निर्णयानुसार सूच्य है कि आपके विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्राप्त निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

1. मान्यता पत्र निर्गत होने की तिथि से विद्यालय में समस्त अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित रख लिये जायें और अध्यापकों को निर्धारित वेतनक्रम दिया जाये।
2. अध्यापकों का वेतन का भुगतान बैंक के खुले खाते के माध्यम से किया जाये।
3. रूपये 1500 / – (एक हजार पाँच सौ रूपये) विद्यालय प्रबन्धक के पदनाम जमा हो तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पदनाम बंधक हों।
4. समिति रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण यथासम्भव कराते रहें।
5. विद्यालय की दूसरी शाखा न खोली जायें।
6. विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम लागू रखा जाये।
7. विद्यालय शुल्क से अधिक शुल्क कदापि न लिया जाये।
8. अध्यापकों को अनुमोदन एक माह के भीतर करा लिया जाये।
9. विद्यालय भवन विद्यालय के नाम एक माह के भीतर करा लिया जाये।

यदि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उक्त शर्तो का पालन नहीं किया जाता है तो आपके विद्यालय की अस्थायी मान्यता उसी समय समाप्त कर दी जायेगी। जिसका उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय,

(मनोज मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

पृ0सं0 / शि0स0 / 2006–07 दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खतौली।
3. नगर शिक्षा अधिकारी, ...।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।